सभापति

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)( ) नियम/एलएसजी/99/1324 दिनांकः 3/10/2002

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 297 सपठित धारा 173–ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान नगर पालिका (भू–उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (i) ये नियम राजस्थान नगर पालिका (भू–उपयोग परिवर्तन) (संशोधन) नियम, 2002 कहलायेंगें।
(ii) ये नियम राजस्थान की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों पर लागू होगें।
(iii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगें।

2. नियम 6 में संशोधन :– राजस्थान नगर पालिका (भू–उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के विद्यमान नियम 6 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"6. समितियों की शक्तियाँ :– नियम 5 (i) व (ii) में वर्णित समितियों को नगर पालिका क्षेत्र में 500 वर्ग गज, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग गज, तथा नगर निगम क्षेत्र में 1500 वर्ग गज, क्षेत्र का भू–उपयोग परिवर्तन करने की अधिकारिता होगी, इससे अधिक क्षेत्र के भू–उपयोग परिवर्तन की अधिकारिता राज्य स्तरीय समिति में निहित होगी :

परन्तु यह की उदयपुर शहर, माउण्ट आबू के निषिद्ध क्षेत्र एवं जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के लिये भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय जिला स्तरीय समितियों द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार लिया जायेगा, किन्तु उक्त निर्णय को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों को राज्य सरकार के अनुमोदन केलिये प्रेषित किया जायेगा तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही राज्य स्तरीय समिति का निर्णय लागू होगा :

परन्तु यह भी कि भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान प्रकरणों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर समितियाँ अपना निर्णय लेगी और अपने निर्णय में शिकायतों के निष्कर्ष का भी उल्लेख किया जावेगा।"

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(जी.के. तिवारी)
उप शासन सचिव

आयुक्त (प्रशा०)

क्रमांकः प.8(ग)( ) नियम/एलएसजी/99/1325-1740 दिनांकः 3/10/2002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(31)

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के भाग [illegible] विशेषांक (आगामी अंक) में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, राजस्थान।
11. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. भूमि शाखा/विधि शाखा, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।